

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-258/2015/2679/चि0-3-15-टी-1(179)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-123/2015/एच0एम0-343-दो/ चि0-3-15-टी0-1(179)/2015, दिनांक 30-06-2015 द्वारा डा0 अवधेश कुमार, आर्थोपेडिक सर्जन (वरि0क्र0-11075क, लेवल-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा को स्थानान्तरित करते हुए जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में आर्थोपेडिक सर्जन के पद पर तैनात किया गया था।


2- उक्त स्थानान्तरण आदेश को सम्यक् विचारोपरान्त आगामी स्थानान्तरण सत्र तक एतद्वारा स्थगित किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-06-2015 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-258/2015/2679(1)/चि-3-15.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।
6. वरिष्ठ कौषाधिकारी, बांदा/फर्रुखाबाद।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद)।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अवधेश कुमार खरे)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-259/2015/2610/चि0-3-15-टी0-1(309)/2015,

लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

**कार्यालय ज्ञाप**

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अशद अली, चिकित्साधिकारी, (वरि0क्र0-11891क, लेवल-2) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच को जनहित में स्थानान्तरण/समायोजन करते हुये उन्हें जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है ।

2- डा0 अशद अली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें ।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

**संख्या-259/2015/2610(1)/ चि-3-15. तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच ।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच ।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच)।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-2/8
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-260/2015/2610-दो/चि0-3-15-टी0-1(309)/2015,  
लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 योगिता जैन, बाल रोग विशेषज्ञ, (वरि0क्र0-11478, लेवल-2) जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच को जनहित में स्थानान्तरण/समायोजन करते हुये उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 योगिता जैन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।


विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-260/2015/2610-दो(1)/ चि-3-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच)।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-2/8
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(अवधेश कुमार खरे)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।